श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-49 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य फार्मेसी काउंसिल में निबंधक-सह-सचिव पद पर स्थायी नियुक्ति करने की जगह प्रभारी की नियुक्ति हुई है और निवर्त्तमान एवं वर्त्तमान प्रभारी निबंधक-सह-सचिव की नियुक्ति अनियमित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में निबंधक-सह-सचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में फार्मेसी के विद्यार्थियों का परीक्षा बाधित होने के कारण एवं कौन्सिल से प्राप्त पत्र की समीक्षा उपरांत फार्मेसी के छात्रों के भविष्य हित को ध्यान में रखते हुए कौन्सिल के ही एक सदस्य को औपबंधिक रूप से मात्र प्रभार दिया गया है। विभाग द्वारा निबंधक-सह-सचिव के नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निदेश झारखण्ड राज्य फार्मेसी कौन्सिल को दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रांक-9934-10009/02.06.2022 के अनुसार फार्मासिस्ट का पंजीयन उसी राज्य में हो सकता है, जहाँ वह व्यवसाय कर रहा है अथवा निवास कर रहा है, परन्तु वर्त्तमान प्रभारी निबंधक सह सचिव का पंजीयन बिहार और झारखण्ड दोनों राज्यों में है और ये एक ही पंजीयन संख्या से झारखण्ड में चार दवा दुकानें संचालित कर रहे हैं ;	फार्मेसी कौन्सिल ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत एक फार्मासिस्ट का पंजीयन एक ही राज्य में हो सकता है। वर्त्तमान प्रभारी निबंधक-सह-सचिव के संबंध में बिहार में पंजीयन होने का प्रमाण विभाग में उपलब्ध नहीं है। झारखण्ड राज्य में फार्मासिस्ट के पंजीयन की ऑनलाईन व्यवस्था है। इसके अनुसार एक फार्मासिस्ट का निबंधन केवल एक औषधि प्रतिष्ठान में मान्य हो सकता है। झारखण्ड स्टेट फार्मेसी कौन्सिल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में प्रभारी निबंधक-सह-सचिव अपना पदभार ग्रहण करने के पूर्व परिषद् के निर्वाचित सदस्य थे तथा झारखण्ड राज्य में निबंधित फार्मासिस्ट है एवं ये झारखण्ड राज्य अंतर्गत CCL, Hospital, Gandhi Nagar, Kanke में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का संचालन विगत 06 वर्षों से कर रहे थे।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधिवत रूप से फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सह सचिव की नियुक्ति नियमानुसार स्थायी करने, अवैध नियुक्ति रद्द कर दोषी पर कार्रवाई करने तथा एक साथ चार दवा दुकानों का संचालन करने वाले फार्मासिस्ट पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-08/फार्मेसी(वि0स0)-01-03/2025 64(8) स्वा0/राँची/दिनांकः- 20/3/2025

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-1230 वि0स0 दिनांक-10.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.25

सरकार के अवर सचिव